अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान एवं उनकी वास्तविक स्थिति (1950 से 2025 तक)

प्राप्तिः 20.11.25
स्वीकृतः 15.12.25

89

डॉ0 टेक चन्द
सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान विभाग)
संघटक राजकीय महाविद्यालय,
सहसवान, बदांयू
ईमेलः tekchand.kumar389@gmail.com

सारांश

26 जनबरी 1950 को जब भारत के संविधान को लागू किया गया तब न केवल संविधान निर्माताओं अपितु भारत की सम्पूंर्ण जनता के तन मन में एक नई खुशी की लहर विद्युत तरंगों की भांति दौड़ने लगी। कुछ लोगों को इस बात की खुशी थी कि उनको अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की गुलामी से आजादी या स्वाधीनता मिल गई है तो वहीं कुछ लोगों को इस बात की खुशी थी कि अब भारत में लोकतंत्र स्थापित होगा और उनको भी हजारों साल की जातिगत गुलामी, शोषण, अत्याचार, असमानता भेदभाव व छुआछूत से छुटकारा मिल जायेगा। जिन लोगों में इस बात को लेकर खुशी थी कि उनको भी हजारों साल बाद जातिगत गुलामी, शोषण, अत्याचार, असमानता, भेदभाव व छुआछूत से छुटकारा मिलेगा, संविधान में उन्ही लोगों या समाजों और जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहकर संबोधित किया गया है। अनुसूचित जाति शब्द को संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषित किया गया है तथा इन्हीं लागों को विकास और समाज की मुख्य धारा में लाने व उनको सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय और समानता दिलाने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के द्वारा संविधान में विशेष प्रावधान किए हैं। जिनको हम संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं संविधान के भाग 16 व अन्य अनेकों अनुच्छेदों के अर्न्तगत अध्ययन करते हैं।

मुख्य शब्द

सामाजिक न्याय, समानता, अधिकार, शोषण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुच्छेद, अधिनियम

संवैधानिक उपबंध (प्रावधान)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को सम्पूंर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.89

राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता अर्थात समानता की बात करती है। जिसका अभिप्राय है कि देश में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक आधार पर अन्याय, अत्याचार, शोषण व भेदभाव नहीं किया जायेगा। संविधान के समक्ष सभी लोग समान एवं बराबर हैं। कोई छोटा या बड़ा व उच्च या निम्न नहीं। प्रस्तावना के उक्त शब्दों की भावना की पुष्टि व अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति के लोगों के सामाजिक सम्मान और हित के लिए संविधान के भाग तीन मौलिक अधिकारों के अंर्तगत अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। जिसमें अनुच्छेद 14 से 17 में कहा गया है कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। जिसका आशय है किसी भी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा अर्थात जन्म या मान्यता के आधार पर कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं होगा। संविधान और कानून की दृष्टि में भारत के सभी नागरिक बराबर अर्थात समान हैं।

अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद या भेदभाव नहीं किया जायेगा, ना सिर्फ राज्य अपितु किसी संस्था या व्यक्ति विशेष के द्वारा ऐसा किया जाना भी दन्डनीय अपराध होगा। तो वहीं अनु0 15 खण्ड 4 कहता है कि राज्य या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और छात्रवृतियों की व्यवस्था करे।

अनुच्छेद 16 में उल्लेख किया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता अर्थात समानता होगी। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उदभव, जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बंध में अपात्र नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा। यह अधिकार जाति विभेद के विरुद्ध रक्षोपाय तो है ही साथ ही यह स्थानीय विभेद के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है।

अनुच्छेद 17 के तहत भारत से अस्पष्श्यता का अन्त करने का उपबंध किया गया है। जिसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रुप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। अस्पृश्यता निवारण के लिए ही संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया, जिसको वर्ष 1976 में संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 कर दिया गया है। जो बात अनुच्छेद 15 में विस्तार से कही गयी है उसी को इस अधिनियम का आधार बनाया गया है। इस अधिनियम के आधार पर निम्न प्रकार के कार्यों को अपराध माना गया है जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को सामाजिक संस्था में जैसे अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्था, उपासना स्थल, मंदिर, दुकान, मनोरंजन स्थल, होटल या रेस्त्रां, जलाशय या नल व जल के अन्य स्रोत एवं श्मशान आदि में प्रवेश करने से रोकना, तथा अस्पृश्यता के आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अपमान करना व जाति, धर्म या इतिहास के आधार पर उसको सही या न्यायोचित ठहराने का प्रयास करना।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, नियम 1995 यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध जाति आधारित अत्याचार और भेदभाव को रोकने वाला एक कानून है। यह अधिनियम है इन समुदायों को समाज में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने, ऐसे विशिष्ट अपराधों को चिन्हित करने और पीड़ित को त्वरित या तत्काल न्याय व सहायता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पूरी तरह वर्जित है।

मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013, इस अधिनियम का उद्देश्य मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को समाप्त करना और इसमें संलिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015, इस संशोधन ने अत्याचार की परिभाषा का विस्तार करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों को भी शामिल किया, जिससे कानूनी संरक्षण को और सशक्त बनाया गया है।

अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। हमारे संविधान में दैहिक स्वतंत्रता की प्रत्याभूति और विभेद के विरुद्ध प्रतिषेध के अनुषंग के रुप में समाज के दुर्बल वर्गों के, दुराचारी व्यक्तियों द्वारा या राज्य द्वारा शेषण रोकने के लिये कुछ उपबंध हैं – मानव का दुर्व्यापार और वेगार यथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिसिद्व किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि अर्थात कानून के द्वारा दंडनीय होगा।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त के अंर्तगत अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र में आर्थिक तथा सांस्कषतिक विकास की ओर ध्यान दे। विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा उनके आर्थिक हितों का विकास करे और उनका सामाजिक तथा आर्थिक शोषण सहन न करे।

अनुच्छेद 243घ में यह उपबंध है कि स्थानीय स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के बराबर होगा अर्थात किसी प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संख्या जनसंख्या के अनुपात में क्रमश; 30 प्रतिशत और 21 प्रतिशत है तो इन जातियों के लिए पंचायतों में 30 और 21 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। अनुच्छेद 243 टी तहत नगर पंचायतों अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित करता है।

संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुच्छेद 244 के साथ पठित अनुसूचित जनजातियां जिस क्षेत्र में निवास करती हैं उनके प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गये हैं।

अनुच्छेद 275 खण्ड 1 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता का उपबंध किया गया है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.89

अनुच्छेद 330 के तहत संसद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों हेतु स्थानों की व्यवस्था की गयी है तो वहीं अनु0 332 के तहत राज्य विधान सभाओं में इन जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गयीं हैं। यह आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद 335 में प्रावधान किया गया है कि संघ या राज्य के किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति करते समय, प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को ध्यान में रखा जायगा। जिसका अर्थ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों का सम्मान किया जायेगा।

अनुच्छेद 338 में उपबंध किया गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इस संविधान या अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण के संबंध में राष्टष्पति को प्रतिवर्ष या ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे प्रतिवेदन देगा। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 341 और 342 राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों की पहिचान कर उनके कल्याण के लिए सरकार को निर्देश दे।

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किया गया है। जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है।

उपरोक्त सभी विशेष प्रावधानों की व्यवस्था संविधान में सविधान निर्माताओं द्वारा इसलिए की गयी थी कि जिन जाति समाज के लोगों का, समाज के दूसरे लोगों द्वारा खुद या स्यंव को उच्च कुल व श्रेष्ठ तथा समाज के दूसरे लोगों को निम्न या हीन मानकर संविधान लागू होने से पूर्व हजारों साल तक जाति के नाम पर जिनका शोषण, उत्पीड़न व दमन किया, दबाया, कुचला और रोंदा गया। जिनको मानवीय अधिकारों व विकास के साधनों जैसे शिक्षा, जमीन रोजगार व व्यवसाय आदि से वंचित रखा गया है। तथा जिनको संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहकर सबोंधित किया गया है को विकास और समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। उनका भी उत्थान, उन्नति या विकास किया जा सके तथा उनपर होने वाले अमानवीय अत्याचार को रोका जा सके।

अब प्रश्न ये उठता है कि इन जाति समूह के लोगों पर होने वाला जुल्म और अत्याचार क्या इतने संवैधानिक प्रावधानों और कानून होने व संविधान लागू होने के बाद कुछ कम हुए या नहीं? इस प्रश्न का जबाब जानने के लिए हम कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख या जिक्र करेंगे जिन्होंने पूरे देश की कानून व्यवस्था और सरकारों पर सवाल खड़ा कर उसे हिलाकर रख दिया।

1. भारत के अनुसूचित जाति या दलित मुख्य न्यायधीश बी0 आर0 गवई उच्चतम न्यायलय में केस की सुनवाई के समय एक मनुवादी या ब्राहम्णवादी सोच या मानसिकता के द्वारा जूते से हमला करना और केन्द्र सरकार का मूकदर्शक बने रहकर अपराधी के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही न करना। घटना 06 अक्टूबर 2025 उच्चतम न्यायलय

2. हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित शोध छात्र रोहित वेमुला के साथ मनुवादी सोच के लोगों के द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार से तंग आकर अपनी जान दे दी। घटना 17 जनवरी 2016
3. हरियाणा राज्य के आई0 पी0 एस0 अर्थात भरतीय पुलिस सेवा के दलित या अनुसूचित जाति के वाई पूरन कुमार द्वारा मनुवादी अधिकारियों के जातीय अपमान और अत्याचार से तंग आकर आत्म हत्या कर अपनी जान दे देना। घटना 07 अक्टूबर 2025
4. राय बरेली में हरिओम बाल्मिकी की सवर्ण जाति के लोगों द्वारा पीट पीट कर हत्या करना, घटना 01 अक्टूबर 2025, दलितों पर पेशाब करने, दलितों मंदिर में प्रवेश करने से रोकना, इनके हाथों से बनाया हुआ खाना न खाना, शादी में घोड़ी पर चड़ने से रोकना, कथा वाचन करने से रोकना और सिर मुडवा देना आदि।

नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो आफ इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत दर्ज सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जनजाति (एस0टी0) के खिलाफ ज्यादतर अत्याचर भी 13 रज्यों केन्द्रित थे, वर्ष 2022 में सभी मामलों के (98.91फीसदी) मामले दर्ज किए गए। अनुसूचित जातियों (एस0सी0) के लिए बने कानून के तहत 51,656 मामलों में से 12,287 मामले दर्ज हुए हैं यह आंकड़ा कुल मामलों का 23.78 फीसदी था। इसके बाद राजस्थान में 8,651 (16.75फीसदी) और मध्य प्रदेश में 7,732 (14.97 फीसदी) मामले दर्ज किए गए। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार के अहम मामलयें वाले अन्य राज्य बिहार 6,799 (13.16फीसदी) ओडिसा 3,576 (6.93 फीसदी) तथा महराष्ट्र में 2,706 (5.24फीसदी) हैं इन कुल मामलों का लगभग 81 फीसदी हिस्सा है।

रिपार्ट के मुताविक अनुसूचित जनजातियों के लिए कानून के तहत दर्ज 9,735 मामलों में से सबसे ज्यादा मामले 2,979 30.60फीसदी मध्य प्रदेश में सामने आए। इसके बाद राजस्थान में 2,498 25.66फीसदी मामले दर्ज हुए जो दूसरे नंबर पर आता है जबकि ओडिसा में 773 7.13फीसदी सामने आए। इसके अलावा महाराष्ट्र में 691 व आन्ध्र प्रदेश में 499 मामले दर्ज किए गए।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के 2023 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में 28.8फीसदी की वृद्धि हुई है। 2022 में, अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के खिलाफ कुल 67,000 से अधिक एस.सी. एस.टी. अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे, 2013 के बाद से सबसे अधिक संख्या में इन वर्गों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण के मामले बड़े हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मोदी जी, योगी जी और अन्य प्रदेशों की बी.जे.पी. की सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर जातिय जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण को रोकने में पूरी तरह से असफल साबित हुई हैं। अपितु एन.सी.आर.बी. के वर्ष 2022–23 के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बी.जे. पी. शासन काल में इन वर्गों पर जुल्म और अत्याचार बड़ा है। इससे यह सिद्ध होता है देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की मानव समाज में जो स्थिति सन 1950 अर्थात देश में संविधान लागू होने से पहले थी वही संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद 2025 में भी

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.89

वैसी ही है। जिसकी जानकारी हमें उपरोक्त घटनाओं और आंकड़ों से प्राप्त होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति के लोगों पर होने वाला जुल्म और अत्याचार आखिर रुक क्यों नहीं रहा है? इस प्रश्न का जबाब हमें अग्र लिखित केवल कुछ पंक्तियों में ही मिल जाता है क्योंकि केन्द्र और राज्यों की सरकारों, विधायिकाओं, न्यायपलिकाओं और प्रशासनिक मशीनरीयों में बैठे सवर्ण मानसिकता के लोगों ने कभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को जाने और महसूस किए बगैर इन पर होने वाले जातिगत जुल्म और अत्याचार को खत्म करने या रोकने के लिए इच्छा शक्ति नहीं दिखाई।

संदर्भ

1. दुर्गा दास बसु : भारत का संविधान – एक परिचय, सातवां संस्करण, नवंबर 1998, प्रकाशित– अशोक के. घोष प्रेंटिस हाल आफ इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड।
2. आर. सी. अग्रवाल, डा. महेश भटनागर : भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन, वर्ष 2019, एस चन्द एन्ड कम्पनी लिमिटेड, राम नगर नई दिल्ली।
3. न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली पब्लिस्ड बाई नितिन गौतम अपडेटेड मंडे, 23 सितंबर 2024।
4. नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो आफ इन्डिया के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार।
5. जागरण, डब्लू डब्लू डब्लू. जागरण. काम. बाई डिजिटल डेस्क, एडिटेड बाईः साक्षी पान्डे, अपडेटेड वेड.01 अक्टूबर 2025।
6. डब्लू डब्लू डब्लू. द हिन्दू–काम. ट्रांसलेट.गूगल, प्रकाशित 23 सितंबर, 2024।
7. मनोज कुमार सिंहः भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारत का संविधान, माधव प्रकाशन, आगरा 2021–22।